1	2	3	4
19. देवरीयां	14.00	8.00	—
20. बदाई	—	5.50	—
21. अमेठी	—	—	20.00
22. काशीपुर	—	9.00	3.00
23. पदरीना	—	18.00	—
24. सुल्तानपुर	—	9.00	—
25. बिसवान	—	8.40	0.85
26. सांमली	—	10.00	20.00
27. मडोहो	—	—	25.50
28. मोनथ भंजन	—	—	25.90
29. संदिला	—	—	27.00
30. पीलीभीत	—	—	15.00
31. भराइच	—	—	25.55
32. ललितपुर	—	—	29.30
33. मिर्जापुर	—	—	10.00
34. इटावा	—	—	10.00
35. मम्भल	—	—	10.00
योग	77.03	102.43	266.35

उत्तर प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं

2576. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद और बांदा जिलों के आदिवासी परिवारों की भलाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही योजनाओं का जिलेवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इन परिवारों के उत्थान के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, मिर्जापुर, इलाहाबाद और बांदा जिलों में अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की कुल संख्या 417 है । चूंकि अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य नहीं है, अतः इन जिलों में कोई समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र नहीं है । इन जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कोई योजना शुरू नहीं की गई है । अनुसूचित जनजाति के कुछ ही परिवार जो वहां रहते हैं उन्हें विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अथवा इधर-उधर फैले हुए आदिवासियों की सहायता की योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है ।